रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 2012/फाल्गुन 16, 1933
No. 60] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 2012/PHALGUNA 16, 1933

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2012

फा. सं. एल-1/18/2010-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (पहला संशोधन) विनियम, 2012 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल विनियम के विनियम 2.3.2 में संशोधन

मूल विनियम के विनियम 2.3.2 के उप-विनियम (घ) में, "मीटरिंग तथा आंकड़ा संग्रहण" शब्दों के स्थान पर "मीटर आंकड़ा प्रसंस्करण" शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल विनियम के विनियम 2.5.1 में संशोधन

मूल विनियम के विनियम 2.5.1 के उप-विनियम (2) को हटा दिया जाएगा ।

4. मूल विनियम के विनियम 3.4 में संशोधन

मूल विनियम के विनियम 3.4 के उप-विनियम (ग) के अंतिम वाक्य के स्थान पर, निम्नलिखित वाक्य रखा जाएगा :

"सहबद्ध पारेषण प्रणाली की दशा में, जहां सभी पीपीए हस्ताक्षरित न हो तथा जहां प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीमों की बाबत करार न किया जा सका हो, वहां सीटीयू विनियामक अनुमोदन के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण स्कीम के निष्पादन के लिए केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता को विनियामक अनुमोदन प्रदत्त करना) विनियम, 2010 के अनुसार आयोग के पास आ सकेगा"।

5. मूल विनियम के विनियम 5.2 में संशोधन

(1) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उपविनियम (ङ) के प्रारंभ में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"उपयोक्ता, एसटीयू तथा सीटीयू द्वारा अपनी-अपनी पारेषण प्रणाली का रखरखाव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।"

(2) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (च) के खंड (iii) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि यदि उत्पादन यूनिट निर्बंधित गर्वनर प्रणाली प्रचालन के अधीन प्रचालित नहीं की जा सकती है तो इसका प्रचालन, प्रचालन के मैनुअल हस्तक्षेप के साथ निर्बाध गर्वनर पद्धति प्रचालन में ऐसी रीति से किया जाएगा जो निर्बंधित गर्वनर पद्धति प्रचालन के अधीन अपेक्षित हो।"

(3) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (i) में, "49.7 एचजेड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "49.8 एचजेड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे।

(4) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (ञ) में, "49.5 एचजेड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "49.7 एचजेड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे।

(5) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (ञ) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा अर्थात्:-

"सभी उपयोक्ता तथा एसईबी यह सुनिश्चित करेंगे कि अचानक भार के कारण अस्थायी अधिक वोल्टता तथा असंतुलित वोल्टता के अधिकतम अनुज्ञेय वेल्यूज हमेशा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होंगे।"

(6) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (ड) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"आरपीसी आइलैंडिंग स्कीमों को भी तैयार करेगा तथा इसके कार्यान्वियन को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के अनुसार सुनिश्चित करेगा। सभी उपयोक्ता तथा एसईबी यह सुनिश्चित करेंगे कि संरक्षण प्रणाली को लगाने तथा उसका

प्रचालन करने में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।"

(7) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (ड) में, "49.5.50.2 एचजेड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "49.7.50.2 एचजेड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे।

(8) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (त) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(त) ग्रिड के भागतः/पूर्णतः फेल होने से उबरने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के अनुसार प्रक्रियाएं विकसित की जाएंगी तथा उन्हें विनियम 5.8 के अधीन दी गई अपेक्षाओं के अनुसार आवधिक रूप से अद्यतन रखा जाएगा। इन प्रक्रियाओं के सुसंगत, विश्वसनीय तथा शीघ्र प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयोक्ताओं, एसटीयू/एसएलडीसी, सीटीयू, आरएलडीसी तथा एनएलडीसी द्वारा इनका अनुसरण किया जाएगा।"

(9) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (द) में, "एक सप्ताह" शब्दों के स्थान पर "24 घंटे" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे।

(10) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (ड) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा अर्थात्:-

"वोल्टता उतार चढ़ाव तथा वोल्टता वेव-फार्म क्वालिटी को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के अनुसार बनाए रखा जाएगा।"

6. मूल विनियम के विनियम 5.4.2 में संशोधन

(1) मूल विनियम के विनियम 5.4.2 के उप-विनियम (क) में, "49.7 एचजेड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "49.8 एचजेड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे।

(2) मूल विनियम के विनियम 5.4.2 के उप-विनियम (ख) में, "49.5 एचजेड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "49.7 एचजेड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे।

7. मूल विनियम के विनियम 5.6.2 में संशोधन

मूल विनियम के विनियम 5.6.2 के उप-विनियम (ख) के अंतिम खंड के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थातः-

"आरएलडीसी तथा एसएलडीसी द्वारा दिए गए सभी प्रचालनात्मक अनुदेशों में एक विलक्षण कोड होगा जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के अनुसार अभिलिखित किए जाएंगे तथा उन्हें बनाए रखे जाएंगे।"

8. मूल विनियम के विनियम 5.7.4 में संशोधन

(1) मूल विनियम के विनियम 5.7.4 के उप-विनियम (क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

" आरपीसी सचिवालय प्रारंभिक रूप से वार्षिक भार उत्पादन तुलनपत्र रिपोर्ट (एलजीबीआर) को अंतिम रूप देने तथा प्रत्येक वर्ष के 31वें दिसम्बर तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आउटेज योजना के लिए जिम्मेदार होगा । पीक तथा आफ-पीक परिप्रेक्ष्य के लिए संबंधित आरपीसी सचिवालय द्वारा एलजीबीआर तैयार किया जाएगा ।"

(2) मूल विनियम के विनियम 5.7.4 के उप-विनियम (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) सभी एसईबी/एसटीयू, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सीटीयू, आईएसजीएस, आईपीपी, एमपीपी तथा अन्य उत्पादन केन्द्र प्रत्येक वर्ष के 31वें अक्टूबर तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए लिखित में प्रस्तावित आउटेज योजना संबंधित आरपीसी सचिवालय को प्रदान करेंगे । इसमें प्रत्येक उत्पादन यूनिट/पारेषण लाइन/आईसीटी आदि की पहचान, प्रत्येक आउटेज की अधिमानी तारीख तथा उसकी अवधि और जहां नम्यता हो, प्रारंभ करने की पूर्वतम तारीख तथा पूरा करने की अंतिम तारीख अंतर्विष्ट होंगे । प्रत्येक एसएलडीसी संबंधित आरपीसी सचिवालय को अगले वित्तीय वर्ष के लिए 31वें अक्टूबर तक पीक तथा आफ-पीक परिप्रेक्ष्य के लिए अपने नियंत्रण क्षेत्र हेतु एलजीबीआर प्रस्तुत करेगा । संबंधित नियंत्रण क्षेत्रों में कमी/अधिशेष का प्रबंध करने के लिए वार्षिक योजना को एसएलडीसी द्वारा प्रस्तुत एलजीबीआर में स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा।"

3 मूल विनियम के विनियम 5.7.4 के उप-विनियम (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) आरपीसी सचिवालय संबंधित क्षेत्र में पीक तथा आफ-पीक परिप्रेक्ष्य के लिए एलजीबीआर का संकलन तथा वार्षिक आउटेज योजना भी तैयार करेगा । आरपीसी सचिवालय इष्टतम रीति से उपलब्ध संसाधनों के उपयोग तथा मुख्य मानकों को ध्यान में रखते हुए, प्रादेशिक ग्रिड के लिए प्रत्येक वर्ष के 30 नवम्बर तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रारूप एलजीबीआर तथा आउटेज योजना तैयार करेगा । इसे आवश्यक प्रणाली अध्ययन करने के पश्चात तैयार किया जाएगा तथा यदि आवश्यक हो, आउटेज योजना को पुनः अनुसूचित किया जाएगा और तदनुसार, एलजीबीआर को उपांतरित किया जाएगा । आउटेज योजना को अंतिम रूप देते समय, उत्पादन तथा भार अपेक्षा के बीच समुचित संतुलन को सुनिश्चित किया जाएगा । प्रारूप

एलजीबीआर तथा प्रारूप आउटेज योजना को आरपीसी द्वारा अपनी-अपनी वेबसाइट पर डाला जाएगा।"

4. मूल विनियम के विनियम 5.7.4 के उप-विनियम (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) आउटेज योजना को एनएलडीसी तथा आरएलडीसी के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा। पणधारियों से टीका-टिप्पणियां/संप्रेक्षणों पर विचार करने के पश्चात, अंतिम एलजीबीआर को आरपीसी सचिवालय द्वारा प्रत्येक वर्ष के 31वें दिसम्बर तक तैयार किया जाएगा। कार्यान्वयन के लिए अंतिम आउटेज योजना तथा अंतिम एलजीबीआर की सूचना एनएलडीसी, उपयोक्ता, एसटीयू, सीटीयू, आईएसटीएस से जुड़े अन्य उत्पादन केन्द्र तथा आरएलडीसी को प्रत्येक वर्ष के 31वें दिसम्बर तक दी जाएगी। अंतिम आउटेज योजना तथा अंतिम एलजीबीआर को संबंधित उपयोगिताओं तथा आरपीसी, आरएलडीसी तथा एनएलडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

9. मूल विनियम के विनियम 6.3 का संशोधनः मूल विनियम के विनियम 6.3 के तीसरे पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"इसी प्रकार सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) के उत्पादन केन्द्रों के लिए अनुसूचीकरण तथा प्रेषण प्रक्रिया पश्चिमी प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र (डब्ल्यूआरएलडीसी) के परामर्श से नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) द्वारा विरचित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

10. मूल विनियम के विनियम 6.4 में संशोधन

(1) मूल विनियम के विनियम 6.4 के उप-विनियम 1 में "मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन, नियंत्रण क्षेत्र के भीतर यूआई लेखा जारी करने " शब्दों के स्थान पर " मीटर आंकड़ा प्रसंस्करण " शब्द रखे जाएंगे।

(2) मूल विनियम के विनियम 6.4 के उप-विनियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(6) प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई की प्रणाली को वैचारिक नियंत्रण क्षेत्र के रूप में समझा तथा प्रचालित किया जाएगा। आईएसजीएस से और दीर्घ-कालिक पहुंच, मध्य-कालिक तथा अल्प कालिक पहुंच व्यवस्थाओं के माध्यम से संविदाओं से अनुसूचित निकासी के बीजीय संकलन प्रत्येक प्रादेशिक इकाई की निकासी अनुसूची को प्रदान किए जाएंगे और इसे आगे के दिन के आधार पर अग्रिम रूप से अवधारित किया जाएगा। प्रादेशिक इकाईयां अपने उत्पादन और/या उपयोक्ता भार को विनियमित करेंगी जिससे कि उपरोक्त अनुसूची के समीप प्रादेशिक ग्रिड से

723 GI/12-2

उनकी वास्तविक निकासी को बनाए रखा जा सके । निकासी अनुसूची से विचलन, यदि कोई हो, केन्द्रीय आयोग द्वारा यूआई विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर होगा तथा यह अनुरोध सीमा से परे विकृत हो जाने के लिए प्रणाली पैरामीटरों के लिए एक कारण नहीं होगा तथा अस्वीकार्य लाइन भार को बढ़ावा नहीं देगा । कुल निकासी अनुसूची से ऐसे विचलनों की केन्द्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर, यथा विनिर्दिष्ट अननुसूचित विनियम (यूआई) तंत्र के माध्यम से कीमत तय की जाएगी ।"

(3) मूल विनियम के विनियम 6.4. के उप-विनियम 7 की पहली पंक्ति में, "49.7 एचजेड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "49.8 एचजेड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे । तथा पांचवी तथा सातवीं पंक्ति में, "49.5 एचजेड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "49.7 एचजेड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे ।

(4) मूल विनियम के विनियम 6.4 के उप-विनियम 10 के पश्चात, एक नया उप विनियम 10(क) जोड़ जाएगा, अर्थात्:

"10(क)परीक्षण के दौरान उत्पादन केन्द्रों द्वारा इंफर्म ऊर्जा के अंतःक्षेपण पर, सयम-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 तथा केन्द्रीय विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के अनुसार विचार किया जाएगा । "

(5)) मूल विनियम के विनियम 6.4. के उप-विनियम 11 में, "49.7 एचजेड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "49.8 एचजेड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे ।

(11) मूल विनियम के विनियम 6.5 में संशोधन

(1) मूल विनियम के विनियम 6.5 के उप-विनियम 19 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(19) विनियम 6.5.18 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, ऐसे उत्पादन केन्द्र (जिनकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट या उससे अधिक है) के यूनिट के बलपूर्वक आउटेज तथा अल्प-कालिक द्विपक्षीय संव्यवहार (पावर एक्सचेंजों के माध्यम से सामूहिक संव्यवहारों को छोड़कर) के अंतर्गत ऊर्जा बेचने के मामलों में उत्पादक या विद्युत व्यापारी या इस उत्पादन केन्द्र की यूनिट से ऊर्जा बेचने वाला कोई अन्य अभिकरण, यथास्थिति, एसएलडीसी/आरएलडीसी को अनुसूची के पुनरीक्षण और यूनिट के प्रतिस्थापन के अनुमानित समय के लिए अध्यपेक्षा के साथ यूनिट की आउटेज की तत्काल सूचना देंगे । फायदाग्राहियों, विक्रेताओं तथा इस उत्पादन यूनिट से ऊर्जा के क्रेताओं को अनुसूची को

तदनुसार, पुनरीक्षित किया जाएगा । पुनरीक्षित अनुसूची उस समय स्थान, जिसमें बलपूर्वक आउटेज घोषित किया गया हो, की गणना करते हुए चौथे समय तक से प्रभावी होंगी । यथास्थिति, एसएलडीसी/आरएलडीसी विक्रेता तथा क्रेता को पुनरीक्षित अनुसूची के बारे में सूचना देगा । यूनिट के प्रतिस्थापन के अनुमानित समय से मूल अनुसूची प्रभावी हो जाएगी । तथापि, मूल अनुसूची के अनुसार पारेषण प्रभार दो दिनों के लिए निरंतर संदत्त किए जाते रहेंगेः

परंतु यह कि क्रेता तथा विक्रेता की अनुसूची यूनिट के बलपूर्वक आउटेज के पश्चात पुनरीक्षित की जाएगी यदि विशिष्ट संव्यवहार के लिए ऊर्जा के स्रोत को अल्पकालिक निर्बाध पहुंच आवेदन के दौरान स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया गया हो तथा उस उत्पादन केन्द्र की उक्त यूनिट में बलपूर्वक आउटेज किया गया होः

परंतु यह भी कि विद्युत व्यापारी तथा किसी अन्य अभिकरण (उत्पादन केन्द्र के सिवाय) द्वारा अनुसूची के पुनरीक्षण की बाबत इस विनियम के उपबंध 1 जुलाई 2012 से प्रभावी होंगे ।

(2) मूल विनियम के विनियम 6.5 के उप-विनियम 19 के पश्चात, एक नया उप विनियम 6.5.19क जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"6.5.19कः उत्पादन यूनिट की अनुसूची के पुनरीक्षण की दशा में, दीर्घ-कालिक पहुंच, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच तथा अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच (पावर एक्सचेंज के माध्यम से सामूहिक संव्यवहारों के सिवाय) के अधीन सभी संव्यवहारों की अनुसूचियों में आनुपातिक आधार पर कटौती की जाएगी । "

(3) मूल विनियम के विनियम 6.5 के उप-विनियम 23 (i) में अंतिम तीन वाक्यों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"पवन ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों (सामूहिक संव्यवहारों को छोड़कर) द्वारा अनुसूची का पुनरीक्षण, यथास्थिति, एसएलडीसी/आरएलडीसी को अग्रिम में सूचना देते हुए किया जा सकेगा । पवन ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों द्वारा पुनरीक्षण पहले उस समय स्थान, जिसमें सूचना दी गई है, के छठें समय ब्लाक से प्रभावी होगा । विशिष्ट दिन के 00.00 घंटे से प्रारंभ होने वाले 3 घंटों के प्रत्येक समय ब्लाक के लिए दिन के दौरान अधिकतम 8 पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए, एक पुनरीक्षण किया जा सकेगा ।"

12. मूल विनियम के परिशिष्ट 1 में संशोधन (अनुपूरक वाणिज्यिक तंत्र)

1. मूल विनियम के परिशिष्ट 1 के पैरा 4 (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:-

"(ii)दीर्घकालिक पहुंच, मध्यकालिक पहुंच तथा अल्प-कालिक पहुंच (सामूहिक संव्यवहारों को छोड़कर) के अधीन अंतर-राज्यिक ऊर्जा का प्रदाय करने वाले ऐसे पवन ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों द्वारा अनुसूची का पुनरीक्षण संबंधित एसएलडीसी/आरएलडीसी को अग्रिम सूचना देते हुए किया जा सकेगा। पवन ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों द्वारा ऐसा पुनरीक्षण उस पहल समय ब्लाक, जिसमें नोटिस दिया गया है, के छठें समय ब्लाक से प्रभावी होगा। विशिष्ट दिन के 00.00 घंटे से आरंभ होने वाले 3 घंटों के प्रत्येक समय स्लाट के लिए पुनरीक्षण, दिन के दौरान अधिकतम 8 पुनरीक्षणों के अधीन रहते हुए, किया जाएगा।"

(2) पैरा 5 तथा पैरा 7 के अंतिम वाक्य, अर्थात उपरोक्त तंत्र की बाबत दृष्टांत रूप से की गई संगणना परिशिष्ट में दी गई है" का लोप किया जाएगा।

(3) मूल विनियम के परिशिष्ट- 1 के पैरा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"15 आरएलडीसी प्रादेशिक यूआई लेखा, प्रादेशिक रिएक्टिव ऊर्जा पूल खाता तथा संकुलन प्रभार लेखा का पूर्ण विवरण आरपीसी की वाणिज्यिक बैठक के समक्ष तिमाही आधार पर संपरीक्षा किए जाने के लिए रखेगा।

(4) मूल विनियम के परिशिष्ट- 1 के पैरा 16 में, "अंतर-क्षेत्रीय एक्सचेंजों में अनुसूचीकरण, और यूआई लेखांकन के इंटरफेस " शब्दों के स्थान पर "अंतर-क्षेत्रीय एक्सचेंजों की अनुसूचीकरण के लिए सीमाएं" शब्द रखे जाएंगे।

(5) मूल विनियम के परिशिष्ट 1 के पैरा 16 के उप-पैरा 1 में " तथा यूआई लेखांकन" शब्दों का लोप किया जाएगा।

13. मूल विनियम के परिशिष्ट को हटा दिया जाएगा।

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/11/असा.]

टिप्पण:- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, में संख्या 115 में तारीख 28.4.2010 को प्रकाशित किए गए थे। मूल विनियम के संलग्नक को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3 खंड 4, संख्या 168, तारीख 3.7 2010 तथा मूल विनियम के शुद्धिपत्र को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-3 , खंड 4, सं. 10 , तारीख 19.1.2011 को प्रकाशित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2012

No. L-1/18/2010-CERC.—In exercise of powers conferred under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 read with clause (g) of sub-section (2) of Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010, hereinafter referred to as "the Principal Regulations".

1. Short title, extent and commencement

(1)These Regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (First Amendment) Regulations, 2012.

(2)These Regulations shall come into force with effect from 2nd of April 2012.

2. Amendment in Regulation 2.3.2 of Principal Regulations:

In sub-regulation (d) of Regulation 2.3.2 of Principal Regulations, the words "Metering and data collection" shall be substituted by the words "Meter data processing".

3. Amendment in Regulation 2.5.1 of Principal Regulations:

The sub-regulation (2) of Regulation 2.5.1 of Principal Regulations shall stand deleted.

4. Amendment in Regulation 3.4 of Principal Regulations:

The last sentence of the sub-regulation (c) of Regulation 3.4 of Principal Regulations shall be substituted as under:

"In case of associated transmission system where all PPAs have not been signed, and where agreement could not be reached in respect of system strengthening schemes, the CTU may approach the Commission for the regulatory approval in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Regulatory Approval for execution of Inter-State Transmission Scheme to Central Transmission Utility) Regulations, 2010."

723 GI/12-3

5. Amendment of Regulation 5.2 of Principal Regulations:

(1) At the beginning of the sub-regulation (e) of Regulation 5.2 of Principal Regulations, following sentence shall be added:

"Maintenance of their respective power system elements shall be carried out by users, STUs and CTU in accordance with the provisions in Central Electricity Authority (Grid Standards) Regulations,2010."

(2) After clause (iii) of sub-regulation (f) of Regulation 5.2 of Principal Regulations, following proviso shall be inserted.

"Provided that if a generating unit cannot be operated under restricted governor mode operation, then it shall be operated in free governor mode operation with manual intervention to operate in the manner required under restricted governor mode operation."

(3) In sub-regulation (i) of Regulation 5.2 of Principal Regulations, the words and figures "49.7 Hz." shall be substituted with the words and figures "49.8 Hz."

(4) In sub-regulation (j) of Regulation 5.2 of Principal Regulations, the words and figures "49.5 Hz." shall be substituted with words and figures "49.7 Hz."

(5) In sub-regulation (j) of Regulation 5.2 of Principal Regulations, the following provisions shall be added at the end:

"All users and SEBs shall ensure that temporary over voltage due to sudden load rejection and the maximum permissible values of voltage unbalance shall remain within limits specified under Central Electricity Authority (Grid Standards) Regulations, 2010."

(6) In sub-regulation (l) of Regulation 5.2 of Principal Regulations, following provisions shall be added at the end:

"RPC shall also prepare islanding schemes and ensure its implementation in accordance with Central Electricity Authority (Grid Standards) Regulations, 2010. All users and SEBs shall ensure that installation and operation of protection system shall comply with the provisions of Central Electricity Authority (Grid Standards) Regulations, 2010."

(7) In sub-regulation (m) of Regulation 5.2 of Principal Regulations, the words and figures "49.5-50.2 Hz." shall be substituted with the words and figures "49.7-50.2 Hz."

(8) Sub-regulation (p) of Regulation 5.2 of Principal Regulations shall be

substituted as under, namely:

"(p) Procedures shall be developed to recover from partial/total collapse of the grid in accordance with Central Electricity Authority (Grid Standards) Regulations, 2010 and to periodically update the same in accordance with the requirements given under Regulation 5.8. These procedures shall be followed by all the Users, STU/SLDC, CTU, RLDC and NLDC to ensure consistent, reliable and quick restoration."

(9) In sub-regulation (r) of Regulation 5.2 of Principal Regulations, the words "one week" shall be substituted with the words and figues"24 hours."

(10) In sub-regulation (t) of Regulation 5.2 of Principal Regulations, the following shall be added at the end:

"Voltage fluctuation limits and voltage wave-form quality shall be maintained as specified in Central Electricity Authority (Grid Standards) Regulations, 2010."

6. Amendment in Regulation 5.4.2 of Principal Regulations:

(1) In sub-regulation (a) of Regulation 5.4.2 of Principal Regulations, the words and figures "49.7 Hz." shall be substituted with the words and figures "49.8 Hz."

(2) In sub-regulation (b) of Regulation 5.4.2 of Principal Regulations, the words and figures "49.5 Hz." shall be substituted with the words and figures "49.7 Hz."

irrelevant because deleted in 2nd Amendment

7. Amendment in 5.6.2 of Principal Regulations:

After the last clause of the sub-regulation (b) of Regulation 5.6.2 of Principal Regulations, the following clause shall be added:

"All operational instructions given by RLDC and SLDC shall have unique codes which shall be recorded and maintained as specified in Central Electricity Authority (Grid Standards) Regulations, 2010."

8. Amendment in Regulation 5.7.4 of Principal Regulations:

(1) Sub-Regulation (a) of the Regulation 5.7.4 of Principal Regulation shall be substituted as under, namely:

"The RPC Secretariat shall be primarily responsible for finalization of the Annual Load Generation Balance Report (LGBR) and the annual outage plan for the following financial year by 31st December of each year. The LGBR shall be prepared by the respective RPC secretariat for peak as well as off-peak

scenarios."

(2) The Sub-Regulation (b) of Regulation 5.7.4 of Principal Regulations, shall be substituted as under, namely:

"(b) All SEBs/STUs, transmission licensees, CTU, ISGS, IPPs, MPPs and other generating stations shall provide to the respective RPC Secretariat their proposed outage plan in writing for the next financial year by 31st October of each year. These shall contain identification of each generating unit/transmission line/ICT etc., the preferred date for each outage and its duration and where there is flexibility, the earliest start date and latest finishing date. Each SLDC shall submit LGBR for its control area, for peak as well as off-peak scenario, by 31st October for the next financial year, to respective RPC Secretariat. The annual plans for managing deficits/surpluses in respective control areas shall clearly be indicated in the LGBR submitted by SLDCs."

(3) Sub-Regulation (c) of Regulation 5.7.4 of Principal Regulations shall be substituted as under:

"(c) RPC Secretariat shall compile LGBR for peak as well as off peak scenario and also prepare annual outage plan in the respective region. RPC Secretariat shall then come out with the draft LGBR and draft outage plan for the next financial year by 30th November of each year for the regional grid taking into account the utilization of available resources in an optimal manner and to maintain security standards. This will be done after carrying out necessary system studies and, if necessary, the outage plan shall be rescheduled and LGBR shall be modified, accordingly. Adequate balance between generation and load requirement shall be ensured while finalising outage plan. The draft LGBR and draft outage plan shall be uploaded by the RPCs on their websites."

(4) Sub-Regulation (d) of Regulation 5.7.4 of Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"(d) The outage plan shall be finalized in consultation with NLDC and RLDCs. The final LGBR after considering comments/observations of the stakeholders shall be prepared by RPC secretariat by 31st December of each year. The final outage plan and the final LGBR shall be intimated to NLDC, Users, STUs, CTU, other generating stations connected to the ISTS and the RLDC by 31st December of each year for implementation. The final outage plan and the final LGBR shall be made available on the websites of the respective utilities and on the websites of RPCs, RLDCs and NLDC."

9. **Amendment of Regulation 6.3 of Principal Regulations :**

The third para of this Regulation shall be substituted as under, namely:

"Similarly, the scheduling and despatch procedure for the generating stations of Sardar Sarovar Project (SSP) shall be as per the procedure formulated by Narmada Control Authority (NCA) in consultation with the Western Regional Load Despatch Centre (WRLDC)."

10. Amendment in Regulation 6.4 of Principal Regulations:

(1) In sub-regulation 1 of Regulation 6.4 of Principal Regulations, the words "metering and energy accounting, issuance of UI accounts within the control area" shall be substituted by the words " meter data processing".

(2) Sub-regulation 6 of Regulation 6.4 of Principal Regulations shall be substituted as under:

"6. The system of each regional entity shall be treated and operated as a notional control area. The algebraic summation of scheduled drawal from ISGS and from contracts through long–term access, medium-term and short–term open access arrangements shall provide the drawl schedule of each regional entity, and this shall be determined in advance on day-ahead basis. The regional entities shall regulate their generation and/or consumers' load so as to maintain their actual drawal from the regional grid close to the above schedule. Deviation, if any, from the drawl schedule, shall be within the limits specified by the Central Commission in UI Regulations and it shall not cause system parameters to deteriorate beyond permissible limits and shall not lead to unacceptable line loading. Such deviation from net drawal schedule shall be priced through the Unscheduled Interchange (UI) mechanism as specified by the Central Commission from time to time."

(3) In the first sentence of sub-regulation 7 of the Regulation 6.4 of the Principal Regulations, the words and figures "49.7 Hz." shall be substituted with words and figures "49.8 Hz." and in second and third sentences, the words and figures"49.5 Hz." shall be substituted with words and figures "49.7 Hz.".

(4) A new sub-regulation 10 (a) shall be added after sub-regulation 10 of the Regulation 6.4 of the Principal Regulations as under:

"10(a). The treatment of injection of infirm power by generating stations during testing shall be in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009, and the Central Electricity Regulatory Commission (Unscheduled Inter-Change Charges and related matters) Regulations, 2009, amended time to time."

7239/12-4

(5) In sub-regulation 11 of Regulation 6.4 of the Principal Regulations, the words and figures "49.7 Hz." shall be shall be substituted with words and figures "49.8 Hz."

11. Amendment in Regulation 6.5 of Principal Regulations:

(1) The sub-regulation 19 of the Regulation 6.5 of Principal Regulations shall be replaced by following:

"19. Notwithstanding anything contained in Regulation 6.5.18, in case of forced outage of a unit of a generating station (having generating capacity of 100 MW or more) and selling power under Short Term bilateral transaction (excluding collective transactions through power exchange), the generator or electricity trader or any other agency selling power from the unit of the generating station shall immediately intimate the outage of the unit along with the requisition for revision of schedule and estimated time of restoration of the unit, to SLDC/RLDC, as the case may be. The schedule of beneficiaries, sellers and buyers of power from this generating unit shall be revised accordingly. The revised schedules shall become effective from the 4th time block, counting the time block in which the forced outage is declared to be the first one. The SLDC/RLDC as the case may be shall inform the revised schedule to the seller and the buyer. The original schedule shall become effective from the estimated time of restoration of the unit. However, the transmission charges as per original schedule shall continue to be paid for two days.

Provided that the schedule of the buyers and sellers shall be revised after forced outage of a unit, only if the source of power for a particular transaction has clearly been indicated during short-term open access application and the said unit of that generating station goes under forced outage.

Provided also that the provisions of this sub-regulation in respect of revision of schedule by electricity traders and any other agency (except the generating station) shall be operative with effect from 1st July 2012."

(2) A new sub-regulation shall be added as 6.5.19A after sub-regulation 6.5.19 as under, namely:

"6.5.19 A. In case of revision of schedule of a generating unit, the schedules of all transactions under the long-term access, medium-term open access and short-term open access (except collective transactions through power exchange), shall be reduced on pro-rata basis."

(3) In the sub-regulation 23 (i) of the Regulation 6.5 of Principal Regulations, last three sentences shall be substituted as under:

"The schedule by wind power generating stations (excluding collective transactions) may be revised by giving advance notice to SLDC/RLDC, as the case may be. Such revisions by wind power generating stations shall be effective from 6th time block, the first being the time-block in which notice was given. There may be one revision for each time slot of 3 hours starting from

00:00 hours of a particular day subject to maximum of 8 revisions during the day."

12. Amendment in Annexure-1 of Principal Regulations (Complementary Commercial Mechanism):

(1) Para 4 (ii) of Annexure-1 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"(ii) The schedule by such wind power generating stations supplying inter-state power under long–term access, medium-term and short-term open access (excluding collective transactions) may be revised by giving advance notice to respective SLDC/RLDC. Such revisions by wind power generating stations shall be effective from 6th time-block, the first being the time–block in which notice is given. There may be one revision for each time slot of 3 hours starting from 00:00 hours of a particular day subject to maximum of 8 revisions during the day."

(2)The last sentences of para 5 and 7 i.e. "Illustrative calculations in respect of above mechanism are given in Appendix" shall be deleted.

(3) Para 15 of Annexure-1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"15. The RLDC shall place the complete statement of the regional UI account, the regional Reactive Energy pool account and Congestion Charge Account before the RPC's Commercial Committee meeting, on a quarterly basis, for audit."

(4)In para 16 of Annexure-1 of the Principal Regulations, the words "Interfaces for Scheduling and UI Accounting In Inter-regional Exchanges" shall be substituted with the words "Interfaces for Scheduling of Inter-regional Exchanges".

(5) In sub-para 1 of para 16 of Annexure-1 of Principal Regulations, the words "and UI accounting" shall be deleted.

13. Appendix to the Principal Regulations shall be deleted.

RAJIV BANSAL, Secy.

[ADVT. III/4/150/11/Exty.]

Note : The Principal Regulations were notified in the Gazette of India Extraordinary, Part III Section 4 Ser No.115 on 28.4.2010. Addendum to the Principal Regulations was issued in Gazette of India Extraordinary, Part-III Section 4 at Ser No. 168 on 3.7.2010 and Corrigendum to the Principal Regulations was issued in Gazette of India Extraordinary, Part-III Section 4 at Ser No. 10 on 19.1.2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.